भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी की विकास यात्रा

📚 **प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष:**
यह तालिका भारत के संविधान और राजभाषा विभाग के इतिहास में हिन्दी के क्रमिक विकास और संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियमों, समितियों और प्रावधानों का एक त्वरित, सटीक और परीक्षा-उपयोगी सारांश प्रस्तुत करती है।

वर्ष / तिथि	ऐतिहासिक एवं संवैधानिक घटनाक्रम
14 सितंबर 1949	संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया (संविधान का अनुच्छेद 343)। इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को 'हिन्दी दिवस' मनाया जाता है।
26 जनवरी 1950	भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान (अनुच्छेद 343 से 351) शामिल किए गए। इसमें यह व्यवस्था दी गई कि संविधान लागू होने से 15 वर्ष की अवधि (26 जनवरी 1965) तक संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा।
7 जून 1955	संविधान के अनुच्छेद 344(1) के तहत राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा बाल गंगाधर खेर (बी.जी. खेर) की अध्यक्षता में प्रथम 'राजभाषा आयोग' का गठन किया गया। इसका उद्देश्य हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करने के संबंध में सिफारिशें देना था।
1957	राजभाषा आयोग की रिपोर्ट (1956) की समीक्षा करने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में 'संसदीय राजभाषा समिति' का गठन किया गया।
1963	राजभाषा अधिनियम, 1963 संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि 1965 की निर्धारित समय-सीमा के बाद भी संघ के आधिकारिक उद्देश्यों और संसद के कार्यों के लिए हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा।
26 जनवरी 1965	हिन्दी भारत संघ की प्रमुख राजभाषा बन गई, लेकिन 1963 के अधिनियम के अनुसार सह-राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग भी अनवरत जारी रहा।

Join Our WhatsApp Group

वर्ष / तिथि	ऐतिहासिक एवं संवैधानिक घटनाक्रम
1967	राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 पारित हुआ। इसके माध्यम से यह वैधानिक गारंटी दी गई कि जब तक सभी गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के विधानमंडल अंग्रेजी को हटाने का संकल्प पारित नहीं करते, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य रूप से जारी रहेगा।
1976	राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 बनाए गए। हिन्दी के कार्यान्वयन को व्यावहारिक बनाने के लिए संपूर्ण भारत को पत्राचार के आधार पर तीन क्षेत्रों — 'क' क्षेत्र (पूर्णतः हिन्दी भाषी), 'ख' क्षेत्र (हिन्दी-सह-स्थानीय भाषा भाषी), और 'ग' क्षेत्र (गैर-हिन्दी भाषी)— में विभाजित किया गया।
1990 के दशक से वर्तमान	केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा 'ई-महाशब्दकोश', 'कंठस्थ' (अनुवाद स्मृति टूल), और 'लीला' (LILA) जैसे तकनीकी और डिजिटल उपकरणों का विकास किया गया है ताकि प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों में हिन्दी का प्रयोग सुगम हो सके।

Join Our WhatsApp Group